तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.05/2019**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.8.2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (भावाराम देवासी पुत्र भीखाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– कलगाजी गली, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म हनुमान किराणा स्टोर, वलदरा रोड, कालन्द्री, जिला– सिरोही) व प्रतिवादी संख्या–2 (अलकेश कुमार अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी– 83 / 84, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला– पाली, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, अलकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, हनुमान चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली) के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण के वकील ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूल को सुधार लिया है एवं प्रतिवादीगण भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति नही करेंगे। प्रतिवादीगण की ओर से निर्माता फर्म जुर्माना अदा करने हेतु तैयार है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.6.2018 को प्रतिवादी संख्या–1 (भावाराम) की फर्म हनुमान किराणा स्टोर, वलदरा रोड, कालन्द्री में प्रतिवादी भावाराम से खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) के 8x5 किलोग्राम पैक्ड प्लास्टीक बैग में से 2 किलोग्राम आटा (गेहूं)(श्याम भोग) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाहान के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./461/Act/2018/478 दिनांक 29.6.2018 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) के पैक्ड प्लास्टीक बेग लेबल पर बेच नंबर व निर्माण तिथि अंकित नही की हुई पाई गई। साथ ही, निर्माता का पूर्ण पता व FSSAI अनुज्ञापत्र संख्या भी अंकित किये हुये नही था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) की निर्माता फर्म अलकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, हनुमान चौक, सुमेरपुर, जिला पाली है, जो प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जुर्माना अदा करने हेतु निर्माता फर्म की ओर से सहमति दी गई है। इससे, यह स्पष्ट है कि निर्माता फर्म अलकेश ट्रेडिंग ......पेज दो पर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.05/2019**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कम्पनी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू) (श्याम भोग) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 ~~व 2~~ को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत खाद्य पदार्थ आटा (गेंहू)(श्याम भोग) की निर्माता फर्म अलकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, हनुमान चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी निर्माता फर्म अलकेश ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर के प्रापेराईटर अलकेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय निर्माता फर्म अलकेश ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर की ओर से उक्त जुर्माना राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का यूनियन बैंक, शाखा सिरोही द्वारा जारी डी.डी. नंबर 918474 दिनांक 18.8.2020 का इस न्यायालय में जमा करवाया गया है। अतः पत्रावली फैसल शुमार हो एवं उक्त डी.डी. की राशि राजकोष में जमा होने के बाद दाखिल दफतर हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested